शीर्ष प्राथमिकता

संख्या– 332/पॉच–1–2021

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 25 फरवरी, 2021**

विषय : आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित "गोल्डेन कार्ड विहीन परिवारो" में गोल्डेन कार्ड (आयुष्मान कार्ड) उपलब्ध कराने हेतु "आयुष्मान पखवाड़ा" दिनांक 10 मार्च, 2021 से 24 मार्च, 2021 तक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित परिवारों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार रू0 5 लाख तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा अनुमन्य है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक पात्र लाभार्थी के पास गोल्डेन कार्ड (आयुष्मान कार्ड) होना अनिवार्य है। गोल्डेन कार्ड का नाम परिवर्तित करते हुए आयुष्मान कार्ड कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 से दिनांक 15 जनवरी, 2021 तक "गोल्डेन कार्ड विहीन परिवारों" में गोल्डेन कार्ड (आयुष्मान कार्ड) बनाने हेतु अभियान चलाया गया था जिसके दौरान राज्य में 10 लाख से अधिक गोल्डेन कार्ड बनाये गये। परन्तु अब भी राज्य में इन योजनाओं से आच्छादित लगभग 63 प्रतिशत ऐसे परिवार हैं जिनमें एक भी आयुष्मान कार्ड नहीं बना है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह निर्णय लिया गया है कि बचे हुए 63 प्रतिशत आयुष्मान कार्ड विहीन परिवारों को लक्षित करते हुए दिनांक 10 मार्च, 2021 से 24 मार्च, 2021 तक "आयुष्मान पखवाड़ा" आयोजित करते हुए सघन अभियान चलाया जाये, जिसमें लक्षित परिवारों को योजना के प्रति जागरूक करते हुए आयुष्मान कार्ड कैम्प तक लाने एवं उनका आयुष्मान कार्ड बनवाने के हर सम्भव प्रयास किये जायें। इस अभियान को सफल बनाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :–

1– आयुष्मान पखवाड़ा के आयोजन हेतु प्रचार प्रसार

अभियान के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार करने तथा जन सामान्य को जागरूक करने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :–

(क) प्रेस वार्ता – अभियान से एक दिन पूर्व समस्त जिलाधिकारियों/मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से जन सामान्य को योजना के प्रति जागरूक करने एवं अधिकाधिक संख्या में योजना का लाभ लेने हेतु आयुष्मान पखवाड़ा के आयोजन से सम्बन्धित जानकारी दी जायेगी। ऐसा देखा गया है कि आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु रू0 30/– प्रति कार्ड का भुगतान का प्राविधान होने के कारण लाभार्थियों द्वारा कार्ड बनवाने में रूचि नहीं ली जाती है।

अतः लाभार्थियों की सुविधा के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि कॉमन सर्विस सेन्टर द्वारा लाभार्थी का आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाया जायेगा। **प्रेस वार्ता में इस बिन्दु का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए कि लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु कोई धनराशि नहीं देनी होगी। आयुष्मान कार्ड प्रत्येक पात्र लाभार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।**

(ख) सभी स्तर के जन प्रतिनिधियों , विशेष कर पंचायती राज निकायों के जन प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की जाए एवं आयुष्मान पखवाड़ा की सफलता में सहयोग हेतु अपील की जाए।

(ग) सभी ग्राम पंचायतों में आयुष्मान पखवाड़ा के दौरान आयोजित होने वाले "आयुष्मान कार्ड कैम्प" के सम्बन्ध में माईक के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जाये जिसमें विशेष रूप से निःशुल्क आयुष्मान कार्ड की नवीन सुविधा का उल्लेख किया जाए।

(घ) लाभार्थियों की ग्रामवार सूची सम्बन्धित ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए। ऐसे लाभार्थी परिवार जिनमें आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हैं, उनकी ग्रामवार सूची साचीज द्वारा अभियान से पूर्व समस्त जनपदों को उपलब्ध करा दी जायेगी।

(च) कैम्प स्थल एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर बैनर लगाकर अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। बैनर का प्रारूप संलग्न है।

(छ) कैम्प की निर्धारित तिथि से पूर्व सम्बन्धित आशा द्वारा गांव के लाभार्थी परिवारों में आयुष्मान कार्ड कैम्प स्थल की जानकारी पर्ची के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी जिसमें परिवार के मुखिया का नाम, कैम्प स्थल एवं कैम्प की तिथि अंकित होगी। पर्ची का प्रारूप संलग्न है।

(ज) <u>मेडिकल मोबाईल यूनिट</u> – जिन जनपदों में मेडिकल मोबाईल यूनिट का संचालन किया जा रहा है, उनमें मेडिकल मोबाईल वैन पर लगी एल0ई0डी0 स्क्रीन पर आयुष्मान योजना से सम्बन्धित लघु फिल्में दिखायी जायें। आवश्यकता पड़ने पर वी0एल0ई0/कम्प्यूटर आपरेटर को कैम्प स्थल तक समय से पहुंचाने हेतु भी मेडिकल मोबाईल यूनिट की सहायता ली जा सकती है। अभियान एवं योजना के प्रचार प्रसार हेतु पैम्फलेट्स का वितरण भी मेडिकल मोबाईल यूनिट के माध्यम से कराया जाये।

(झ) <u>वॉल पेन्टिंग</u> – स्कूल, पंचायत प्रांगण एवं अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर वॉल पेन्टिंग के माध्यम से जन सामान्य को योजना के सम्बन्ध में जानकारी प्रसारित की जाए। वॉल पेन्टिंग का साईज एवं प्रारूप संलग्न है। लाभार्थी परिवारों की संख्या के आधार पर वॉल पेन्टिंग हेतु गांव/क्षेत्र चयनित किया जाए।

<u>2–जनपद स्तर पर अभियान हेतु आवश्यक कार्यवाही</u>

(क) साचीज द्वारा उपलब्ध कराये गये ग्रामवार डाटा के आधार पर दिये गये प्रारुप के अनुसार कार्य–योजना तैयार किया जाये जिसमें आयुष्मान कार्ड कैम्प हेतु समर्पित मानव संसाधन (डेडिकेटेड मैन पावर) की ड्यूटी लगायी जाये। अभियान से पूर्व कॉमन सर्विस सेन्टर के जनपद प्रतिनिधि के साथ बैठक कर माइक्रो प्लान के अनुसार प्रत्येक कैम्प हेतु वी0एल0ई0 की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए।

(ख) जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया जाये जिसमें पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, आई0सी0डी0एस0 आदि विभागों के नोडल अधिकारी सम्मिलित हों। टास्क फोर्स द्वारा अभियान के दौरान कार्य–योजना के अनुसार समस्त लक्षित परिवारों में आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु कार्यवाही का नियमित अनुश्रवण किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि <u>विभिन्न विभागों के फील्ड कार्यकर्ताओं</u> द्वारा क्षेत्रीय आशाओं **तथा आंगनबाड़ी कार्यत्रियों** के साथ समन्वय स्थापित करते हुए लक्षित परिवारों को नियत तिथि एवं स्थान पर स्थापित आयुष्मान कार्ड कैम्प में लाने एवं आयुष्मान कार्ड बनवाने की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर नोडल टीम बनायी जायें जो कार्य–योजना के अनुसार अभियान को सफल बनाने हेतु उत्तरदायी होगी। नोडल टीम द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थल पर आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु टीम की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

(घ) ब्लॉक, पंचायत एवं ग्राम स्तर पर बैठकें आयोजित करते हुए अभियान से जुड़े सभी फील्ड कार्यकर्ताओं को आयुष्मान कार्ड कैम्प की तिथि व स्थान से अवगत कराया जाये तथा इस बिन्दु पर बल दिया जाये कि चिन्हित लाभार्थी परिवार के अधिक से अधिक सदस्य आयुष्मान कार्ड बनवा लें। इन बैठकों में भी निःशुल्क आयुष्मान कार्ड की सुविधा का अवश्य उल्लेख किया जाए जिससे योजना से आच्छादित बचे हुए परिवार आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु प्रेरित हों।

3– <u>कार्ययोजना</u>

प्रत्येक जनपद में कैम्प लगाने हेतु ब्लाक स्तरीय कार्य योजना तैयार की जायेगी जिसमें ग्रामवार लाभार्थी डाटा के आधार पर कैम्प की तिथि, कैम्प स्थल, वी0एल0ई0 का नाम एवं मोबाईल नम्बर आदि अंकित होगा। कैम्प के आयोजन हेतु ब्लॉक स्तरीय कार्य योजना निम्नलिखित प्रारूप पर तैयार की

जायेगी :—

जनपद–............................							
ब्लॉक–.............................							
ब्लॉक प्रभारी चिकित्साधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर......................							
कैम्प की तिथि	**गांव का नाम**	**आयुष्मान कार्ड विहीन परिवारों की संख्या**	**वी0एल0ई0 / कम्प्यूटर आपरेटर का नाम**	**वी0एल0ई0 / कम्प्यूटर आपरेटर का मोबाईल नम्बर**	**आशा / आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम**	**आशा / आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मोबाईल नम्बर**	**कैम्प में बनाये गये कुल गोल्डेन कार्ड की संख्या (कैम्प के अन्त में भरा जाए)**

यदि किसी गांव में लक्षित लाभार्थी परिवारों की संख्या 50 से अधिक है तो उस गांव में एक से अधिक दिवसों में कैम्प लगाया जाये अथवा एक ही तिथि को उसी गांव में भिन्न–भिन्न स्थलों पर 02 कैम्प लगाये जायें।

4– लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु कैम्प में लाने की व्यवस्था करना।

कैम्प की नियत तिथि एवं कैम्प स्थल पर लाभार्थियों को लाने हेतु भी कार्य योजना बनायी जायेगी जिसमें लाभार्थी परिवारों को कैम्प की तिथि एवं समय तथा कैम्प स्थल के सम्बन्ध में पूर्व में ही सूचित कर दिया जायेगा।

कार्य–योजना के अनुसार लाभार्थियों को नियत तिथि एवं समय पर कैम्प में लाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

- **क.** प्रत्येक लाभार्थी परिवार के मुखिया के नाम से "पर्ची" तैयार की जायेगी जिसमें मुखिया का नाम, कैम्प स्थल का नाम एवं तिथि अंकित होगा। पर्ची का प्रारूप संलग्न है।
- **ख.** कैम्प तिथि से एक दिन पूर्व आशा/ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा समस्त लक्षित लाभार्थी परिवारों को "पर्ची" वितरित की जायेगीं तथा यह भी अवगत कराया जायेगा कि आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु आवश्यक अभिलेख – आधार कार्ड तथा राशन कार्ड अथवा परिवार पंजिका की नकल/प्रधानमंत्री का पत्र लेकर लाभार्थी समय से कैम्प में उपस्थित हों।
- **ग.** कैम्प के दिन आशा/आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा लाभार्थी परिवारों को मोबाईल/फोन पर कैम्प में समय से उपस्थित होने के लिये स्मरण कराया जायेगा।
- **घ.** **लाभार्थी परिवारों को यह भी बताया जायेगा कि सभी लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाया जायेगा। उन्हें कॉमन सर्विस सेन्टर के वी0एल0ई0 को कोई शुल्क नहीं देना होगा।**
- **च.** लाभार्थियों को कैम्प स्थल तक लाने हेतु जिन गांवों में आशा अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उपलब्ध नहीं है, उन गांवों में मनरेगा योजना के रोजगार सहायकों अथवा पंचायती राज विभाग/ग्राम्य विकास विभाग के फील्ड कार्यकर्ताओं की सहायता ली जाये।

5– कैम्प का आयोजन

- **क.** कैम्प का आयोजन किसी सार्वजनिक स्थान जैसे पंचायत भवन, हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, आंगनवाड़ी केन्द्र, प्राथमिक विद्यालय आदि पर किया जायेगा।
- **ख.** कैम्प स्थल पर बिजली, पानी आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।
- **ग.** कैम्प स्थल पर निम्नलिखित छपा हुआ बैनर लगाया जायेगा जिससे गांव में जनसामान्य को कैम्प के सम्बन्ध में जानकारी हो।

आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
आयुष्मान कार्ड कैम्प

- **घ.** कैम्प तिथि के दिन वी0एल0ई0 की टीम समय से कैम्प स्थल पर पहुंच कर गोल्डेन कार्ड बनाने हेतु आवश्यक व्यवस्था सुदृढ़ कर लेगी। लैपटॉप/कम्प्यूटर के साथ ही इंटरनेट उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जायेगी।
- **च.** लक्षित लाभार्थी परिवारों की सूची कैम्प स्थल पर भी चस्पा कर दी जाये।

छ. कैम्प में आने वाले लाभार्थी परिवारों को आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ ही एक लीफलेट दी जायेगी जिसमें योजना से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी, कॉल सेन्टर नम्बर तथा योजनान्तर्गत आबद्ध नजदीकी चिकित्सालयों की सूची अंकित होगी। लीफलेट का प्रारूप संलग्न है। प्रत्येक लाभार्थी परिवार में एक लीफलेट दी जायेगी।

6– **हेल्थ कैम्प**

लक्षित लाभार्थियों को आकर्षित करने के लिये आयुष्मान कार्ड कैम्प स्थल पर हेल्थ चेक–अप की व्यवस्था भी की जाये। यदि आयुष्मान कार्ड कैम्प हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर आयोजित किया गया है तो आने वाले लाभार्थियों की सामान्य स्वास्थ्य जॉच हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर किया जायेगा। यदि आयुष्मान कार्ड कैम्प अन्यत्र आयोजित किया गया है तो निकट के पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 की सहायता से कैम्प स्थल पर हेल्थ चेकअप की व्यवस्था की जाये।

7– **आरोग्य मेला**

प्रत्येक रविवार को राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर "आरोग्य मेला" का आयोजन किया जाता है। अतः इस अभियान के दौरान रविवार को आरोग्य मेला में ही आस–पास के गांव के लक्षित परिवारों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाये। रविवार को आरोग्य मेला से पृथक आयुष्मान कार्ड कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा। कार्य–योजना में तद्नुसार प्राविधान किया जाये।

8– **रिपोर्टिंग**

अभियान के उपरान्त जनपद स्तर पर आवश्यक सूचनायें निम्नलिखित प्रारूप पर संकलित कर साचीज के ई–मेल uprsby@yahoo.co.in पर प्रेषित की जाये।

जनपद–............................			
आयुष्मान कार्ड विहीन परिवारों की कुल संख्या	**कैम्प की तिथि (10 मार्च, 2021 से 24 मार्च, 2021 तक क्रमवार)**	**जनपद में आयोजित कुल कैम्प की संख्या**	**कैम्प में बनाये गये कुल आयुष्मान कार्ड की संख्या**

9– **आशा/आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्रोत्साहन राशि**

लक्षित परिवार में कम से कम एक गोल्डेन कार्ड बनवाने पर प्रति परिवार रू0 5/– तथा एक से अधिक आयुष्मान कार्ड बनवाने पर प्रति परिवार रू0 10/– की प्रोत्साहन **राशि सम्बन्धित आशा/आंगनबाड़ी कार्यकर्ती** को देय होगी जिसका भुगतान साचीज द्वारा अभियान के उपरान्त आच्छादित परिवारों/बनाये गये आयुष्मान कार्ड की संख्या के आधार पर किया जायेगा।

10– **प्रचार–प्रसार एवं डाटा प्रिंटिंग हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति**

अभियान के उपरान्त प्रचार–प्रसार सामग्री पर किये गये व्यय तथा लाभार्थी परिवारों की सूची के प्रिटिंग हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति साचीज द्वारा निम्न दरों के आधार पर जनपदों से प्राप्त मांग पत्र के उपरान्त की जायेगी।

(क) फ्लेक्स बैनर (अधिकतम 50 बैनर प्रति जनपद)–साईज 6 ft x 3 ft अधिकतम रू0 200/– प्रति बैनर की दर से। बैनर का प्रारूप संलग्न है।

(ख) प्रत्येक लाभार्थी परिवार को दी जाने वाली लीफलेट – ए4 साईज के पेपर पर संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रिंट कराया जायेगा। प्रति लीफलेट अधिकतम रू0 **5/– की दर से** प्रतिपूर्ति की जायेगी। लीफलेट ग्लॉसी एवं टिकाउ पेपर पर छपवाये जायें जो लाभार्थी द्वारा सुरक्षित रखा जा सके। लीफलेट को लेमीनेट कराकर वितरित करना अधिक उपयुक्त होगा, जिसे लम्बे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। लीफलेट की अधिकतम संख्या जनपद में लक्षित परिवारों की संख्या के आधार पर निर्धारित होगी।

(ग) डाटा प्रिटिंग हेतु अधिकतम रू0 1/– प्रति पृष्ठ की दर से प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(घ) अभियान की तिथि से पूर्व लाभार्थी परिवारों को वितरित की जाने वाली पर्ची (प्रारूप संलग्न) पर्ची ए4 साईज के पेपर का 1/4 साईज की होगी अर्थात् एक ए4 साईज पेपर में चार पर्चिया प्रिन्ट करायी जायेंगी। पर्ची प्रिन्टिंग हेतु प्रति ए4 साईज पेपर रू0 1/– की दर से प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(च) प्रत्येक वॉल पेन्टिंग हेतु अधिकतम रू0 100/– की दर से प्रतिपूर्ति की जायेगी।

11– समस्त जिलाधिकारियों द्वारा अभियान की प्रतिदिन समीक्षा की जायेगी और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस अभियान के उपरान्त उनके जनपद में योजना से आच्छादित कोई भी लाभार्थी परिवार आयुष्मान कार्ड विहीन न रह जाये।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
25.2.21
(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित की अभियान की सफलता सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित जनपदों की उपलब्धियों की नियमित समीक्षा करने का कष्ट करें।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अजीज अहमद)
संयुक्त सचिव।